


# भूमि सुधार उपसमाहर्ता का न्यायालय, पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।

टी०ए० मिस केस सं०-121/2023-24

आदेश की तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बाद टिप्पणी तारीख साथ
07.02.2024	<p style="text-align: center;"><b>आदेश</b></p> <p>अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर के पत्रांक-169, दिनांक-02.02.2024 द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर ने अपने जाँच प्रतिवेदन में स्पष्ट किया है कि बिक्रेता बाइगो तांती, पिता-स्व० रंजीत तांती, जाति-तांती (अ.पि.वर्ग), ग्राम-जेनाबेड़ा, पो०-ओटार, थाना-चक्रधरपुर, जिला-प० सिंहभूम ने मौजा-जेनाबेड़ा, थाना नं०-43, खाता नं०-40, प्लॉट नं०-520, रकवा-0.33.000 ए० भूमि को आवासीय प्रयोजनार्थ हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(प)प्रोभिजो "ए"/"बी" के अन्तर्गत क्रेता नारायण महतो, पिता-महेश्वर महतो, जाति-कुर्मी (अ.पि.वर्ग), ग्राम-ओटार, थाना-चक्रधरपुर, जिला-प० सिंहभूम को बिक्री करना चाहते हैं।</p> <p>जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि बिक्री की जानेवाली भूमि आवेदक बाइगो तांती, पिता-स्व० रंजीत तांती, जाति-तांती (अ.पि.वर्ग), ग्राम-जेनाबेड़ा, पो०-ओटार, थाना-चक्रधरपुर, जिला-प० सिंहभूम के दखल-कब्जे में है तथा अपने हक की भूमि को क्रेता नारायण महतो, पिता-महेश्वर महतो, जाति-कुर्मी (अ.पि.वर्ग), ग्राम-ओटार, थाना-चक्रधरपुर, जिला-प० सिंहभूम के पास बेचना चाहते हैं। नोटिस तामिला प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित भूमि को बेचे जाने पर किसी भी व्यक्ति के द्वारा आजतक किसी भी प्रकार की आपत्ति इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है। नोटिस तामिला प्रतिवेदन अभिलेख के साथ संलग्न है।</p> <p>अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर के प्रतिवेदनानुसार बिक्रेता एवं क्रेता एक ही जिला-प० सिंहभूम के निवासी हैं। बिक्रेता, जाति-तांती (अ.पि.वर्ग) एवं क्रेता, जाति-कुर्मी (अ.पि.वर्ग) समुदाय के सदस्य हैं। बिक्रेता बाइगो तांती, पिता-स्व० रंजीत तांती, जाति-तांती (अ.पि.वर्ग), ग्राम-जेनाबेड़ा, पो०-ओटार, थाना-चक्रधरपुर, जिला-प० सिंहभूम उक्त वर्णित भूमि बच्चे की उच्च शिक्षा हेतु बेचना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि बिक्री के पश्चात् बिक्रेता के पास कुल रकवा:-5.00.000 एकड़ अवशेष भूमि बचता है। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर साथ ही आम इश्तेहार पर आपत्ति प्राप्त नहीं होने के फलस्वरूप बिक्रेता को अपने हक एवं दखल की उपरोक्त भूमि क्रेता को 2,00,000/- (दो लाख) रुपये में अथवा राजस्व एवं निबंधन विभाग द्वारा निर्धारित दर अथवा क्रेता एवं बिक्रेता द्वारा तय मूल्य में जो अधिक है दर पर, निबंधन शूल्क अदा कर बेचने की स्वीकृति दी जाती है।</p> <p>आदेश की प्रति पक्षकार को उपलब्ध करायें।</p> <p style="text-align: right;"> भूमि सुधार उपसमाहर्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।</p>	